समाहरणालय, मधेपुरा
(जिला शस्त्र शाखा)
-:आदेश:-

श्री चन्द्रशेखर सिंह, पिता- स्व0 रामरक्षा सिंह, ग्राम- मंजौरा, थाना- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है इनके नाम से एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 01/1998 (बिहारीगंज थाना) पर धारित शस्त्र संख्या- 42287 निर्गत है। इन्होंने अपने आवेदन में अंकित किया है कि अस्वस्थ्य रहने के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्र का निरीक्षण नहीं करवा सका है। इन्होंने शस्त्र अनुज्ञप्ति को निलंबन से मुक्त करते हुए भौतिक सत्यापन एवं वर्ष 2014 से 2016 तक नवीकरण कराये जाने की अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09.09.2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 उपं 05-10-2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी की गई थी। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी श्री चन्द्रशेखर सिंह (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं डाटावेश समर्पित नहीं किया है, जिस कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 261/श0, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9 (ए) का उल्लंधन मानते हुए इनके नाम से निर्गत शस्त्र दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 01/1998 (बिहारीगंज थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है, इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा में अपना उम्र 58वर्ष अंकित किया गया है। इनके द्वारा समर्पित जवाव में अंकित है कि ये बराबर अस्वस्थ्य रहते है एवं इलाज हेतु बाहर रहने के कारण निर्धारित तिथियों को भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा समर्पित नहीं कर सके है। चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। इनके द्वारा समर्पित जवाव असंतोषजनक, तथ्य से परे, भ्रामक एवं अनुज्ञप्ति शर्त्तो का उल्लंधन के साथ-साथ मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंधन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति संख्या- 04/1982 (कुमारखण्ड थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री चन्द्रशेखर सिंह, पिता- स्व0 रामरक्षा सिंह, ग्राम- मंजौरा, थाना- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा को आदेश दिया जाता है वे अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति मूल जिला शस्त्र शाखा, में एवं उस पर धारित शस्त्र बिहारीगंज थाना के मालखाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा में पत्र प्राप्ति के 24 धंटा के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे श्री चन्द्रशेखर सिंह द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं शस्त्र शाखा में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी में ''रद्द'' प्रविष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

24/03/14

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

24/03/14

ज्ञापांक 115 /शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 24-3-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, बिहारीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री चन्द्रशेखर सिंह, पिता- स्व0 रामरक्षा सिंह, ग्राम- मंजौरा, थाना- बिहारीगंज, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/03/14

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा।

24/03/14